(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III खंड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 66 नई दिल्ली 2 अप्रैल 2007

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, संलग्न आदेशानुसार, विशाखापट्टणम पत्तन न्यास पर अपने प्रचालनों के लिए विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के वर्तमान दरमान की वैधता को विस्तार प्रदान करता है।

(अ. ल. बोंगिरवार)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
प्रकरण सं. टीएएमपी/31/2005-वीसीटीपीएल

विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड
आवेदक

आदेश

(मार्च 2007 के 28 वें दिन पारित)

यह प्रकरण विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी) पर अपने प्रचालनों के लिए विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (वीसीटीपीएल) के प्रचलित दरमान की वैधता के विस्तार से संबन्धित है।

2. वीसीटीपीएल के वर्तमान दरमान (एसओआर) को इस प्राधिकरण के आदेश सं. टीएएमपी/31/2005-वीसीटीपीएल दिनांक 30 अगस्त, 2005 द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसको राजपत्र सं. 134 द्वारा भारत का राजपत्र दिनांक 19 सितंबर, 2005 में प्रकाशित किया गया था। उक्त आदेश के अनुसार, विर्तमान दरमान दिनांक 31 मार्च, 2007 तक वैध है।

3. वीसीटीपीएल ने दिनांक 28 फरवरी, 2007 को अपने दरमान में संशोधन हेतु एक प्रस्ताव दाखिल किया है। प्रस्ताव को एक प्रशुल्क प्रकरण के रूप में पंजीकृत किया गया और प्रायिक परामर्श प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है।

4. जैसा की पहले कहा गया है, वीसीटीपीएल के वर्तमान दरमान की वैधता, 31 मार्च, 2007 को समाप्त हो जायेगी। चूँकि, अपने दरमान में संशोधन हेतु वीसीटीपीएल से प्राप्त प्रस्ताव, अभी तक परामर्श अवस्था में ही है, और प्रस्ताव की संवीक्षा तथा विश्लेषण के लिए अधिक समय लगेगा, यह प्राधिकरण वीसीटीपीएल के वर्तमान दरमान की वैधता को आगे तीन महीने की अवधि के लिए 30 जून, 2007 तक अथवा वीसीटीपीएल द्वारा दाखिल किये गये प्रस्ताव का अंतिम निपटारा-इनमें से जो भी पहले हो तब तक विस्तार प्रदान करता है।

(अ. ल. बोंगिरवार)
अध्यक्ष